रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 16, 2006/फाल्गुन 25, 1927
No. 101] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 16, 2006/PHALGUNA 25, 1927

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2006

सा.का.नि. 159(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड (3), उप-खंड (i) में पृष्ठ 1-106 पर प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 185 (अ), दिनांक 21-3-2005 [खाद्य अपमिश्रण निवारण(दूसरा संशोधन) नियमावली, 2005] और भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित शुद्धि-पत्र संख्या सा.का.नि. 596 (अ), दिनांक 20-9-2005 के साथ पठनीय, में (i) पृष्ठ 1 पर

नियम 1 (2) के लिए निम्नलिखित पढ़ा जाए, अर्थात् :—

"(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के छह माह की अवधि के पश्चात् प्रवृत होंगे सिवाय नियम 2(ii) की मद संख्या क. 16.06, क. 16.09, क. 16.10, क. 16.15, क. 16.30 और क. 16.41 के जो 20-9-2006 को प्रवृत्त होंगे।"

[फा. सं. पी. 15025/44/2002-पी एच (फूड)]

रीता तेवतिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 16th March, 2006

G.S.R. 159(E).—In the notification of Government of India, Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. G.S.R. 185 (E) dated 21-3-2005 [Prevention of Food Adulteration (IInd Amendment) Rules, 2005] published in Part II, Section 3, Sub-section (i) at page 1-106 of the Gazette of India, Extraordinary, read with corrigendum No. G.S.R. 596(E) dated 20th September, 2005 published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary :—

At page 57—

Rule 1(2) shall read as follows :—

"(2) They shall come into force after six months from the date of publication in the Official Gazette except items Nos. A. 16.06, A.16.09, A. 16.10, A. 16.15, A. 16.30 and A. 16.41 of rule 2 (ii) which shall come into force on 20-09-2006."

[F. No. P. 15025/44/2002-PH(F)]

RITA TEAOTIA, Jt. Secy.

780 GI/2006

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.